न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, सीकर

भींवाराम बनाम बाबूलाल

किस्म मुकदमा 223 मु. नं0 90 वर्ष 2017

दिनांक	आज्ञा पत्र	
2-11-17	अपील दर्ज रजिस्टर हो । स्थगन प्रार्थना पत्र पर वकील अपीलान्ट को सुना गया । वकील अपीलान्ट ने बहस मे कथन किया कि अदालत मातहत मे भूमि खसरा नं0 568, 569, 573, 574, 579 से 581, 586 कुल किता-8 रकबा 5.18 हैक्टर वाके ग्राम कुली के सम्बन्ध में अपीलान्ट ने एक दावा बटवारा का पेश किया । दौराने दावा प्रतिवादी सं0-5 व 6 ने एक प्रार्थना पत्र पेश कर पक्षकार बनने का निवेदन किया । जिस पर उन्हे पक्षकार बनाया गया। पक्षकार बनाने के बाद दावा उनके जबाब दावा मे चलता रहा । जबाब दावा भी नही आया ।रेस्पोडेन्ट सख्या-5 व 6 ने दौराने दावा आराजी का क्रय किया । जिसका रेकार्ड मे अमल कराने के लिये सरपंच ग्राम पंचायत अथवा तहसीलदार के यहां कार्यवाही करनी चाहिये थी किन्तु अदालत मातहत ने बिना किसी विधिक अधिकार के बिना कोई काउण्टर वाद रहते रेस्पोडेन्ट संख्या-5 व 6 के हक मे नामान्तरकरण तस्दीक कर राजस्व रेकार्ड मे अमल दरामद का आदेश विधि विरूद्ध पारित किया है । जिसके आधार पर रेस्पोडेन्ट अपीलान्ट को उक्त आराजी से बेदखल करने पर आमादा है । अतः अदालत मातहत के आदेश की क्रियान्विति को स्थगित किया जाकर रेकार्ड एवं मौके की यथास्थिति का आदेश दिया जावे। बहस बगौर समाहत की गई । प्रार्थना पत्र, अदालत मातहत के निर्णय का एवं बहस का अवलोकन किया गया । अदालत मातहत ने अपने निर्णय मे रेस्पो0 सं0-5 व 6 द्वारा रेस्पोडेन्ट सख्या-1 व 2का सम्पूर्ण हिस्सा क्रय करना बताकर विक्रय पत्र दिनांक 10-12-14 के आधार पर नामान्तरकरण की स्वीकृति होकर	

दिनांक	आज्ञा पत्र	

अदालत मातहत का विधि के विपरित है ।इस सम्बन्ध में रेस्पोडेन्ट सं0-5 व 6 का कोई काउण्टर दावा नही है इसके बाद भी अदालत मातहत ने यह सहायता अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर दी है ।जिसको हम यथावत रखा जाना उचित नही मानते बल्कि प्रकरण को इसी स्तर पर अदालत मातहत को प्रतिप्रेषित कर पुनः निर्णय हेतु भिजवाया जाना विधिक मानते है । जिसमे दोनो पक्षो को विधिवत सुनकर विधिप्रक्रिया अपनाते हुये अपना निर्णय पुनः पारित करे ।

अतः उपरोक्त विवेचन के परिप्रेक्ष्य मे अपील को इसी स्टेज पर स्वीकार कर अदालत मातहत का निर्णय एव डिक्री दिनाक 25-9-17 खारिज किया जाकर इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि दोनो पक्षो को सुनकर अपना निर्णय पुनः विधिनुसार पारित करें । पक्षकार अदालत मातहत मे दिनाक 23-11-2017 को उपस्थित होवें ।निर्णय सुनाया गया ।

21/11/17

(भंवरलाल मेहरड़ा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
सीकर